

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (4)

मैनुअल संख्या-4

कार्यों के सम्पादन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल-4

कार्यों के सम्पादन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

निगम द्वारा कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार जारी किए जाने वाले कार्यालय आदेशों के आधार पर मानदण्ड स्थापित कर कार्यों को सम्पादित किया जाता है। परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन व विभिन्न निगमों द्वारा बनाए गये सुस्पष्ट प्रक्रिया तथा मानक स्थापित हैं, जिनको समय-समय पर आवश्यकतानुसार अंगीकृत किया जाता है।

निगम की विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संपादन हेतु विभिन्न प्रचलित मैनुअल/नियमावली जैसे क्रय नियमावली, भंडार नियमावली, कार्य स्थल अनुबन्ध नियमावली, लेखा नियमावली, मानव संसाधन नियमावली इत्यादि का अनुसरण किया जाता है।